एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में दिनांक 21–8–2010 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग (मध्य प्रदेश क्षेत्र)
'निशांत विला', एफ– जल विहार कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

(यह सूचना और आवेदन प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.sscmpr.org पर भी उपलब्ध है)

विज्ञापन संख्या–2/2010

निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

एमपीआर–1 : ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव (प्रसारण कार्यकारी)

रिक्त पदों की संख्या– 10 (दस) (10–अजा–बैकलॉग)

वर्गीकरण– समूह 'ग' (गैर–तकनीकी)

वेतनमान– 9300–34800 (पे बैंड–2), ग्रेड पे – 4200

आयु– 18–30 वर्ष, प्रसार भारती के कर्मचारियों को पांच वर्ष तक की आयु सीमा में छूट केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों के केवल अजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा तक छूट, जिन्होने आवेदन की अंतिम तिथि (20.09–2010) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विवि से डिग्री या समकक्ष योग्यता
   अथवा
   नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली से डिप्लोमा अथवा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे से डिप्लोमा,
   अथवा
   ध्वनि (साउंड) प्रसारण में डिप्लोमा
2. हिन्दी भाषा में प्रवीणता ।

वांछनीय योग्यता :

1. हिन्दी भाषा के लेखक के रूप में पांच वर्षों से सुविख्यात अथवा पुस्तक में सृजनात्मक लेखन हेतु पांच वर्षों का अनुभव अथवा किसी जर्नल, पत्रिका के लिए या रेडियो के लिए सृजनात्मक लेखन का अनुभव और प्रसारण हेतु पाठ (स्क्रीप्ट) तैयार करने की क्षमता,
2. हिन्दी का ज्ञान,
3. प्रसारण हेतु सही आवाज,
4. समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/रेडियो और टेलीविजन के लिए लेखों के योगदान का अनुभव ।

नोट : संबंधित भाषा में प्रवीणता का अर्थ है कि उम्मीदवार ने उक्त भाषा/बोली में मैट्रिक स्तर तक अनिवार्य रूप से अध्ययन किया है और यदि संबंधित भाषाा/बोली का अध्ययन मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं किया है तो उक्त भाषा/बोली उम्मीदवार की मातृभाषा होनी चाहिए अथवा उन्हें उक्त भाषा/बोली में कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, जिसका निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा ।

आरंभिक तैनाती : मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी/दूरदर्शन के किसी भी कार्यालय में ।

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीविक्षा अवधि : 2 वर्ष

वांछित कार्य : ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव केन्द्र के ट्रांसमिशनों के प्रभारी होंगे । उनका मुख्य कार्य दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. ड्यूटी अधिकारी के रूप में कार्य करना ।
2. प्रस्तुतकर्ता कलाकारों/वक्ताओं, प्रोग्राम प्रस्तुतिकरण स्टाफ तथा इंजीनियरों के मध्य समन्वय स्थापित करना । सभी प्रोग्राम सामग्री को संग्रहित करना तथा जारी करना और उनका प्रसारण ।
3. प्रोग्रामों के प्रसारण के विभिन्न मदों की ध्यानपूर्वक निगरानी रखना और दैनिक रिपोर्ट तैयार करना ।
4. आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों के प्रोग्रामों का मूल्यांकन करना तथा वरिष्ठ प्रोग्राम अधिकारियों के विचारार्थ उनका मूल्यांकन तैयार करना ।
5. कलाकारों को भुगतान देना ।
6. ट्रांसमिशन माह के दौरान पाश्चात्य और भारतीय संगीत प्रसारणों की सांख्यिकीय रिपोर्ट महानिदेशक को प्रेषण हेतु तैयार करना ।
7. सभी प्रकार के प्रोग्रामों को रिकार्ड, डब, संपादन एवं प्लेबैक करना ।
8. प्रेस रेडियो हेतु समाचार सामग्री को तैयार करने में सहायता प्रदान करना तथा अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार का उप–संपादन करना । अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रेस रिपोर्ट, संपादकीय आदि का विश्लेषण तैयार करने तथा अंग्रेजी भाषा के सामग्री का अन्य भारतीय भाषाओं तथा विलोम में अनुवाद तैयार करने की भी उनसे अपेक्षा की जाती है ।
9. सभी सवर्गों के प्रोग्रामों के लिए नाटकों, फीचरों, वार्तालापों, कहानियों आदि के स्क्रीप्ट लिखना ।
10. उद्घोषाओं को लिखना, जांच करना और प्रसारण सामग्रियों का चयन करना , सामाचार सार का अनुवाद करना आदि ।

नोट : 1. उपरिलिखित कार्य दायित्व केवल सूचना परक हैं, अनिवार्य नहीं । वास्तविक दायित्व तैनाती के स्थान पर निर्भर होंगे ।

2. इस पद को शारीरिक रूप से विकलांग (ओ एल, ओ ए) तथा दृष्टि विकलांग (नजर की तीव्रता 6/60 या 20/200 अच्छे आंख में सुधारात्मक लेंसों के साथ) उम्मीदवारों के लिए मान्य के रूप में परिभाषित किया गया है ।

<u>एमपीआर–2</u> : आकाशवाणी भोपाल में पुस्ताकालय एवं सूचना सहायक ।

रिक्त पदों की संख्या– 02 (दो)–अजजा–बैकलॉग

वर्गीकरण– समूह 'ग' (अराजपत्रित, गैर–मंत्रालयीन)

वेतनमान– 9300–34800 (पे बैंड–2), ग्रेड पे – 4200

आयु– 28 वर्ष से अधिक नहीं, (केवल केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों के अजजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा तक छूट, जिन्होने आवेदन की अंतिम तिथि (20.09–2010) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विवि से डिग्री या समकक्ष योग्यता
2. मान्यता प्राप्त विवि से लाइब्रेरी साइंस में डिग्री
3. मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की भाषा/बोली अथवा हिन्दी का ज्ञान ।

वांछनीय योग्यता : निरंक ।

आरंभिक तैनाती : मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ।

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीविक्षा अवधि : 2 वर्ष

वांछित कार्य : पुस्तक, ग्रामोफोन एवं इलेक्ट्रीकल रिकार्डिंग/सीडी आदि निहित आकाशवाणी केन्द्र के लाइब्रेरी का प्रभारी ।

यह पद शारीरिक विकलांग, बधिर विकलांग एवं दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के लिए मान्य माना गया है ।

<u>एमपीआर–3</u> : गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में स्टोर कीपर ।

रिक्त पदों की संख्या– 06 (03–अनारक्षित, 01–अपिव, 01–अजा. 01–अजजा)

वर्गीकरण– समूह 'ग' (गैर–तकनीकी)

वेतनमान– 5200–19200 ग्रेड पे – 1900

आयु– 27 वर्ष से अधिक नहीं , (केवल केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों को 40 वर्ष की आयु तक छूट (अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तथा अपिव के लिए 43 वर्ष केवल इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों हेतु), जिन्होने आवेदनों की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तिथि (20. 09–2010) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता– 10+2

वांछनीय योग्यता : डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडिशन कमेटी सर्टिफिकेट (DOEACC) के अनुसार 'O' लेवल सर्टिफिकेट के साथ कम्प्यूटर एप्लीकशन का आधारभूत ज्ञान ।

आरंभिक तैनाती : गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर ।

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीविक्षा अवधि : 2 वर्ष

वांछित कार्य : भंडारगृहों का संरक्षण, सामग्री गोदाम की देखभाल, वस्तु विवरण सूची का अनुरक्षण, अनुभाग प्रमुख/डिवीजनल अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।

इस पद को शारीरिक विकलांग (ओ एल, ओ ए) उम्मीदवारों के लिए मान्य माना गया है ।

<u>एमपीआर–4</u> : वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (सैन्य विस्फोटक), इटारसी में वैज्ञानिक सहायक ।

रिक्त पदों की संख्या– 01 (01–अनारक्षित)

वर्गीकरण– समूह 'ख' (गैर–तकनीकी)

वेतनमान– 9200–34800 ग्रेड पे – 4200

आयु– 30 वर्ष से अधिक नहीं, (केवल केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों को 35 वर्ष की आयु तक छूट, जिन्होने नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता–

1. मान्यता प्राप्त विवि या संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा केमिकल फील्ड की प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ।
2. केमिकल एनालिसिस फिल्ड में तीन वर्ष का अनुभव

   अथवा

1. मान्यता प्राप्त विवि से केमिस्ट्री के साथ साइंस में डिग्री
2. केमिकल एनालिसिस फिल्ड में तीन वर्ष का अनुभव

वांछनीय योग्यता : निरंक ।

आरंभिक तैनाती : वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (सैन्य विस्फोटक), इटारसी ।

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीविक्षा अवधि : 2 वर्ष

वांछित कार्य :

1. सेक्शन में प्राप्त सभी सेम्पलों को इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध यथोचित रजिस्टर में पंजीकृत करना ।
2. संबंधित विनिर्देश के अनुसार ऑडिट प्रक्रिया निष्पादित करना ।
3. विनिर्देश में यथा उल्लेखित सेम्पलों (प्रतिदर्शों) की जांच ।
4. मानक निष्कर्ष तैयार करना ।
5. जांच रिपोर्ट तैयार करना ।
6. सेम्पल रजिस्टर, केमिस्ट नोट बुक, रिपोर्ट बुक आदि जैसे सभी लैब रिपोर्ट का अनुरक्षण ।
7. तराजुओं का अनुसंशोधन (कैलिब्रेशन)
8. कांच के पात्रों का अनुसंशोधन ।
9. अनुसंशोधन रजिस्टरों का अनुरक्षण ।
10. सभी एन ए बी एल रजिस्टरों का अनुरक्षण ।

इस पद को शारीरिक विकलांग, बधिर विकलांग एवं दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के लिए मान्य नहीं माना गया है ।

नोट : 1–आयु और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का आंकलन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 20.09–2010 से किया जाएगा ।
2– भारत के राजपत्र अंक दिनांक 8–4–1995 में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–44, दिनांक 1–3–1995 के अनुसार 'खुले विश्वविद्यालय'/'दूरस्थ शिक्षा' के माध्यम से प्राप्त डिग्री को 'डिस्टेंस एजुकेशन कौंसिल', 'इग्नू' से मान्यता प्राप्त होना चाहिए । तदनुसार, जब तक डिग्री को उस अवधि के लिए मान्यता नहीं मिल गई थी, जब अभ्यर्थी संबंधित योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो इन्हें शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3– जो अभ्यर्थी आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (20....09–2010) को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लिए हैं/प्राप्त नहीं कर लेंगे, तो वे पात्र नहीं समझे जाएंगे । अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें ।

---

2. **<u>देय शुल्क</u>** – 50/– (मात्र पचास रूपये)

2.1 शुल्क भुगतान का प्रकार– केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा

2.1.1 भुगतान का तरीका – उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुल्क केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में अदा करें जिसके लिए उन्हें कोई कमीशन नहीं चुकाना है । ये टिकट देश के सभी विभागीय डाक कार्यालयों में उपलब्ध है । ये भर्ती टिकटें आवेदन प्रपत्र में दांये कोने के उपर इस हेतु निर्धारित स्थान पर चिपका दी जाएं । भर्ती शुल्क टिकट को किसी भी जारीकर्ता डाकघर के लिपिक द्वारा उस डाकघर की तारीख वाली मुहर से इस तरह निरस्त करा लेना चाहिए कि डाकघर की मुहर बिल्कुल साफ एवं सुस्पष्ट हो ताकि बाद में जारी करने वाले डाकघर एवं दिनांक की पहचान करने में आसानी रहे । भर्ती शुल्क टिकटों के निरस्त न कराए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

2.1.2 चुकाया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा ।

2.1.3 केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से चुकाया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन एकदम से निरस्त कर दिए जाएंगे और चुकाया गया शुल्क जब्त हो जाएगा ।

2.2 शुल्क से छूट– अजा/अजजा/शा.वि./भू.पू.सै./महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है

शुल्क से छूट अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है

शुल्क से छूट भू.पू.सैनिकों के पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए लागू नहीं है

ऐसे भू.पू.सै. अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं, शुल्क छूट हेतु पात्र नहीं हैं

3. **आयु में छूट :–**

3.1 अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उपरी आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट है ।

3.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञा.सं. 43013/2/95–स्था(एससीटी), दिनांक 25–1–95, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार अपिव अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट ।

3.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट (नोटिस के पैरा–2 के नीचे दिए गए नोट–।। भी देखें) अ.वि. अभ्यर्थी हेतु उपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट है और अजजा श्रेणी के अ.वि. अभ्यर्थियों हेतु (10. 05) 15 वर्ष की छूट है ।

3.4 भूटान में चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण के छंटनी किए गए उन कर्मचारियों को जिन्हें सीधे ही भर्ती किया गया था, को उनके द्वारा प्राधिकरण में की गई नियमित सेवा अवधि तक उपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (निकाले गए कर्मचारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की अवधि चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी) ।

3.5 जो अभ्यर्थी 1–1–80 से 31–12–89 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के सामान्यतया मूल निवासी थे, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इसके समर्थन में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ आवास के प्रमाण के रूप में निम्न में से किसी एक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा –

क. जिला मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र का वह सामान्यतया मूल निवासी था, अथवा

ख. जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि 1.1.80 से 31.12.89 की अवधि के दौरान वह सामान्यतया जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवासी था ।

3.6 विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं और कानूनी तौर पर अपने पति से अलग महिलाओं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है को उपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट (अजजा श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट है)

3.7 रक्षा कार्मिकों को उपरी आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष (अजजा अभ्यर्थियों को 08 वर्ष) की छूट है जो विदेश या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में अक्षम हो गया है और इस आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो।

3.8 भूतपूर्व सैनिकों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गईं शर्तों को पूरा करते हैं, को अपनी रक्षा सेवा अवधि को अपनी आयु मे से घटाने की अनुमति होगी और इस तरह प्राप्त परिणामी आयु निर्धारित उपरी आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी–1 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं आयु में छूट के पात्र नहीं है लेकिन शुल्क से छूट के पात्र हैं।

टिप्पणी–2 भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना से लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा –

क. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ/हुई हो । इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवा निवृत हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद, या

ख. जिसे सैन्य सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो, या

ग. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो, या

घ. जो सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान (ग्रेच्यूटी) दिया गया हो, इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं –

1. निरंतर मूर्त सेवा के पेंशनधारी
2. सैनिक सेवा के कारण अक्षम हुए व्यक्ति तथा
3. वीरता पुरस्कार विजेता

टिप्पणी–3 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02–04–1992 के का.ज्ञा.सं. 36034/6/90–स्था. (एससीटी) के अनुसार ऐसे भूपूसै अभ्यर्थी जिन्होनें भूपूसै के रूप में दिए गए लाभ उठाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया हो वे भूपूसै के पुनर्नियोजन के लिए उच्च ग्रेड में दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसै के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा में छूट के पात्र हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यर्थी भूपूसै के रूप में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे और न ही परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होगी ।

टिप्पणी–4 किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आहवान पर सेवा (काल–अप–सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा मानी जाएगीं । आरक्षण की सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूपूसै के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा यह सिद्व करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (20 सितंबर 2010) से एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर अपनी सेवा अवधि पूरी कर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा ।

टिप्पणी–5 भूपूसै द्वारा इस संबंध में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र अनुलग्नक I एवं II में दिया गया है ।

प्रमाणन की प्रकिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप

अभ्यर्थी जो आरक्षित पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आयु में शिथिलता चाहते हैं, उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी, संवीक्षा हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए, अन्यथा उनका अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै हेतु किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनका आवेदन पत्र सामान्य अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत माना जाएगा । प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं प्रकार निम्नांकित हैं–

अनुलग्नक I/ II भूपूसै अभ्यर्थियों हेतु
अनुलग्नक III अजा/अजजा अभ्यर्थियों हेतु
अनुलग्नक ट अपिव अभ्यर्थियों हेतु
अनुलग्नक टප शावि अभ्यर्थियों हेतु

टिप्पणी– I अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके द्वारा अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै हेतु गलत दावा किया जाता है तो वे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे ।

टिप्पणी– II शा.वि. प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता :–

(I) निःशक्तता प्रमाण पत्र केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा । राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों का एक चिकित्सक बोर्ड गठित कर सकती है, जिनमें से कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र जैसे लोकोमीटर/सेरेब्रल/दृष्टि/श्रवण जो भी मामला हो, का विशेषज्ञ होगा

(II) जिनकी निःशक्तता अस्थायी है, उनका प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र में वहां वैधता तिथि दर्शायेगा जहां निःशक्तता की कोटि में परिवर्तन की संभावना हो। जिनकी निःशक्तता स्थायी होगी, उनके लिए यह मान्यता स्थायी दर्शाई जा सकती है । आवेदक के प्रार्थना पत्र देने पर , मेडिकल बोर्ड मामले से संबंधित सभी तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय को पुनर्अवलोकित कर सकता है और मामले के संबंध में निर्णय ले सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(III) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप–धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, निःशक्तता प्रमाण–पत्र देने के लिए प्राधिकारियों का केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया एक चिकित्सा बोर्ड होगा । राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों के एक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिनमें से कम से कम एक सदस्य लोकोमीटर/निम्न दृष्टि सहित चक्षुष श्रवण तथा वाक् निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा कुष्ठ उपचार, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होगा ।

टिप्पणी– III विभागीय प्रतिनिधि/केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अपने कार्यालय से एक प्रमाण पत्र (अनुबंध ￼ट के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनके सेवा–काल का उल्लेख हो ताकि आयोग द्वारा उनकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके । वे अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को सूचित करने के बाद अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से कोई और प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने का निर्णय लेते हैं तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग में अंतिम तिथि तक

पहुंच जाना चाहिए । यदि आवेदन पत्र देर से प्राप्त होगा और/या नियमों में उपबंधित तरीके से हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

4. **प्रारंभिक चयन**– केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इत्यादि पूरी करने ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की पात्रता नहीं होगी । आयोग पदों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी कर सकता है ।

5. **स्क्रीनिंग टेस्ट**– आयोग अपने विवेकानुसार सभी/प्रारंभिक रूप से छांटे गए अभ्यर्थियों हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन कर सकता है । केवल वही अभ्यर्थी जो कि आयोग के विवेकानुसार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्क्रीन टेस्ट में अर्हता प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने योग्य होंगे ।

5-1 साक्षात्कार/स्क्रीनिंग टेस्ट आयोग के उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या अन्य कोई केंद्र जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पर होगा ।

5-2 अजा/अजजा के अभ्यर्थी जो साक्षात्कार हेतु बुलाए जाते हैं को सरकारी आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा। यद्यपि अन्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

6. **आवेदन कैसे करें –**

6-1 अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी हस्तलिपि में नीली या काली स्याही से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में भरेंगे । अन्य किसी भाषा में भरा गया आवेदन पत्र एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा ।

6-2 आवेदन पत्र को सही भरने में अभ्यर्थियों द्वारा पूरी सावधानी बरती जाए । कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए । अपूर्ण या कटे–फटे आवेदन एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा । इस तरह के निरस्तीकरण के लिए कोई भी प्रत्यावेदन या पत्राचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6-3 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में कोई झूठा तथ्य न लिखें और न ही कोई संबंद्ध सूचना छिपाएं । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या दस्तावेज की अनुप्रमाणित छायाप्रति में दर्ज किसी आंकडे के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई छेड़छाड़ या किसी परिवर्तन का कोई प्रयास न करें और न ही उन्हें कोई परिवर्तित/बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । यदि इसमें कोई अस्पष्टता या कोई विसंगति हो तो विसंगति के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

6-4 आवेदन पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित प्रारूप में होना चाहिए । आवेदन डबल स्पेस में टंकित या हाथ से स्वच्छ रूप में लिखे में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रारूप प्रकाशित आवेदन के अनुरूप होना चाहिए ।

6-5 ऐसे आवेदन ऐसे जो कि विज्ञापन में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप के समान नहीं है, एकदम से अस्वीकृत कर दिये जाएगें ।

6-6 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में फोटो के लिए निर्धारित स्थान में अपना हाल ही का फोटो चिपकाना चाहिए । अभ्यर्थियों द्वारा चिपकाई गई फोटो की समान प्रतियां भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए ।

6-7 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में घसीट लिपि में (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं) अपने हस्ताक्षर करने चाहिए –

(1) फोटो के नीचे इस हेतु निर्धारित स्थान में,
(2) अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा के नीचे, और
(3) विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा के नीचे, यदि लागू हो तो।

6-8 निर्धारित स्थान पर बिना फोटोग्राफ या बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।

6-9 एक लिफाफे में एक अभ्यर्थी का ही आवेदन होना चाहिए । इस अनुदेश के उल्लंघन होने पर आयोग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आवेदनों का निरस्तीकरण भी शामिल है ।

6-10 आवेदन पत्र के लिफाफे पर बड़े अक्षरों में 'आयुध निर्माणी इटारसी/कटनी में भंडार पाल पद की भर्ती 2007 के लिए आवेदन पत्र' लिखा जाना चाहिए और निम्नांकित पते पर भेजा जाना चाहिए–

उप क्षेत्रीय निदेशक (मप्रक्षे)
कर्मचारी चयन आयोग
'निशांत विला' एफ, जल–विहार कॉलोनी,
रायपुर, छत्तीसगढ़– 492 001

6-11 अंतिम तिथि– आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2010 (सांय 05:00 बजे तक) है । हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप असम, मेघालय, मिजोरम या अरूणाचल प्रदेश इत्यादि में रहने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में 27 .09. 2010 (सांय 05:00 बजे तक) है ।

7- आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज–

(2) एक स्वयं का पता लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर 6/– रू. का डाक टिकट लगा हो । पोस्ट कार्ड पर अभ्यर्थी द्वारा 'आयुध निर्माणी इटारसी/कटनी में भंडार पाल पद की भर्ती 2007 के लिए आवेदन पत्र' लिखा जाना चाहिए ।

(3) अपना पता लिखा हुआ 12 ग 25 सेमी आकार का एक लिफाफा, जिसमें 6/–रू. का डाक टिकट लगा हो।

(4) शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्र ।

(5) अजजा श्रेणी के समर्थन में दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारूप के सदृश होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के साथ प्रकाशित (अनुलग्नक ।।।) है।

(6) आयु में छूट में दावे के समर्थन (अजजा/शावि/भूपूसै की स्थिति में) में दस्तावेज। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक ।, ।।, ।।।, प्ट एवं ट दिए गए हैं ।

(7) आयु के प्रमाण हेतु जन्म तिथि को दर्शाने वाला बोर्ड से जारी मैट्रिक स्तरीय या समकक्ष प्रमाण पत्र की साक्ष्यांकित छायाप्रति। कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा ।

(8) आयु के लिए छूट का दावा करने वाले केंद्र सरकार/विभागीय उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ, स्वयं के कार्यालय से जारी, सामान्य अंतिम तिथि को नियमित आधार पर सेवा अवधि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (अनुलग्नक ट के अनुसार), प्रस्तुत करना होगा ।

(9) सिविल पदधारी सभी सरकारी सेवक, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, निर्धारित कर्मचारी हो, नैमित्तिक हों या दैनिक मजदूरी पर हों, या लोक उद्यम मे कार्यरत हों, को यह वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के संबंध में सूचित कर दिया है ।

(10) विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र ।

8. **अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश**

1. इस विज्ञप्ती द्वारा अन्य समान/समतुल्य रिक्तियो को भी भरा जा सकता है । उक्त रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है
2. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
3. अभ्यर्थियों को अपने हित में परीक्षा की विज्ञप्ति के सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि पद, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं, के संबंध में निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों मे उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं । यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी समय जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।
4. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उस संबंध में किसी भी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
5. आवेदन के साथ कोई मूल प्रमाण पत्र न भेजें ।
6. आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और बाद में इसमें परिवर्तन हेतु प्रार्थना पर न कोई विचार किया जाएगा और न ही उसमें परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ।
7. आयोग के विवेकानुसार अन्यथा योग्य व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती हैं ।
8. जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है वे इस पद के योग्य नहीं है एवं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।
9. जिन अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा उन्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर इस पद के लिये शैक्षणिक योग्यता होने का दावा किया गया है, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

10. अभ्यर्थियों को यह विकल्प है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार या तो विभिन्न प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें, तथापि स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों की संविक्षा की जायेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता ऐसी संविक्षा के अधीन होगी । विभिन्न प्रमाण पत्रों के स्व–प्रमाणन की सुविधा का प्रयाग करने समय अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आयोग को भ्रम में रखने अथवा इसकी परीक्षाओं मे बैठने का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत प्रमाणीकरण करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक/परीक्षा से वारित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

11. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के सिविल पदधारी कर्मचारी अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को सूचित करके अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते है तथा उन्हें उचित माध्यम से दूसरी प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी, यदि वे आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने चाहते हैं, तो वे यह सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच जाए ।

12. अभ्यर्थियों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग में उनके नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन करने से रोकने की सूचना मिलती है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे/अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।

13. अभ्यर्थियो को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र अंतिम तिथि से काफी पहले ही डाक द्वारा भेज दें ताकि अंतिम तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग कें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाये । किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

14. पात्रता, आवेदनों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा एवं साक्षात्कारें के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों के पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

15. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

16. यह विज्ञप्ति क.च.आ. की वेबसाइट `बउचतण्वतह पर भी उपलब्ध है । अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु इस वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन–प्रारुप को डाउनलोड करके इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP APPLICATION FORM FOR SELECTION POSTS

1. It may be noted that the Commission uses Common Application Form for all its recruitments. Please go through the notice for the Recruitment and also these instructions carefully before applying for any of the posts mentioned in the Notice. You must satisfy yourself that you are eligible for the post for which you are applying.
2. Use only blue/black pen for filling up the Application Form.
3. Instructions have been given for most items in the application itself which should be gone through carefully before filling up the boxes. For items for which instructions are not available or require further clarification, further instructions given below may be gone through carefully.
4. Column 10 may be filled up carefully. Ex-Servicemen candidates are also required to fill up columns 10 and 10.1.
5. PH candidates are required to fill up Columns 10,11, 11.1 16 and 16.1 as may be applicable. The Commission may decide to hold screening/skill test for certain posts and therefore, VH candidates should fill in columns 16 and 16.1
6. Column No. 12.1 – The category code for filling up this column is available in the Commission’s website : http://ssc.nic.in
7. Column No. 12.2 – For all categories age as on normal closing date for receipt of applications should be indicated.
8. Column No.13: relating to preference for posts may be left blank.
9. Column 16 Educational Qualification: The list of Educational Qualification and subjects mentioned in Appendix X is not exhaustive. Candidates who posses any educational qualification or studied any subjects other than those mentioned in the list at Appendix X may use ‘Others’ for qualifications and/or subject code.

10. Candidates should read carefully the Essential Qualification required for the post for which they are applying and ensure that they fulfill the same. Documents in support of Essential Qualifications should invariably be furnished along with the application failing which the applications will be summarily rejected.
11. Column no. 19: Write your complete communication address including your Name in English in capital letters or in Hindi with blue/black ball pen. Do not forget to write 6 digit PIN in the boxes.
12. Column 20: Paste your recent photograph of size 4cmx5cm. Do not staple and do not get the photo attested. Please note that your application shall be rejected summarily without photograph.
13. Column No.21 and 22: Please do sign in running hand. Unsigned applications will be rejected. Signature in capital letters of English shall not be accepted and your application shall be summarily rejected. Variations in the signature will render the application liable to be rejected.

ESSENTIAL EDUCATIONAL QUALIFICATION CODE.

EDUCATION QUALIFICATION	CODE
Matriculation	1
Intermediate	2
Certioficate	3
Diploma	4
BA	5
BA(Hons.)	6
B.Com	7
B.Com (Hons)	8
B.SC 09	9
B.Sc(Hons)	10
B.Ed	11
LLB	12
BE	13
B.Tech	14
AMIE (PART A & B)	15
B.Sc (Engg)	16
BCA	17
BBA	18
Graduation issued by Defence (Indian Army, Air Force, Navy)	19
B.Lib	20
B.Pharma	21
ICWA	22
CA	23
PG Diploma	24
MA	25
M.Com	26
M.Sc	27
M.Ed	28
LLM	29
ME	30
M.Tech	31
M./Sc (Engg)	32
MCA	33
MBA	34
OTHERS	35

SUBJECT CODE FOR EDUCATIONAL QUALIFICATION	
Subject of Educational Qualification	**Code**
History	01
Political Science	02
Economics	03
English Literature	04
Hindi Literature	05
Geography	06
Commerce	07
Law	08
Physics	09
Chemistry	10
Mathematics	11
Statistics	12
Botany	13
Zoology	14
Agriculture Science	15
Civil Engineering	16
Electrical Engineering	17
Mechanical Engineering	18
Electronics Engineering	19
Electronics and Power Engineering	20
Electronics and Communication Engineering	21
Electronics Instrumentation Engineering	22
Agriculture Engineering	23
Computer Science	24
Computer Application	25
Information Technology	26
Library Science	27
Accountancy	28
Work Accountancy	29
Business Administration	30
Mass Communication	31
Journalism	32
Mass Communication and Journalism	33
Pharmacy	34
Photography	35
Printing Technology	36
Nursing	37

Assamese	38
Bengali	39
Malayalam	40
Telugu	41
Kannada	42
Tamil	43
Marathi	44
Gujarati	45
Urdu	46
Sanskrit	47
OTHERS	48
Aeronautical Engineering	49
Chemical Engineering	50
Microbiology	51
Forensic Science	52
Space Engineering	53
Rocketry	54
Telecommunication Engineering	55
Social Work	56
Sociology	57
Criminology	58
Bio-Physics	59
Bio-Chemistry	60
Bio-Technology	61
Communication	62
Electronics	63
Radio Engineering	64
Radio Communication	65
Metallurgy	66
Textile technology	67
Rubber Technology	68
Plastic Engineering	69
Polymer and Rubber Technology	70
Physical Education	71
Agronomy	72
Plant Breeding	73
Genetics	74
Automobile Engineering	75

Marine Engineering	76
Naval Architecture	77
Operations Research	78
Instrumentation Engineering	79

कर्मचारी चयन आयोग Staff Selection Commission

APPLICATION FORM/आवेदन प्रपत्र

कृपया परीक्षा के नोटिस में दिए गए अनुदेशों/संलग्न विवरणिका को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। बॉक्सों (☐) में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पैन का प्रयोग करें।
Please read instructions in the Notice of the Examination / Brouchure carefully. Use Blue or Black ball pen to write in the boxes (☐).

1. **विज्ञापन सं/Advertisement No.** ______ 2. **श्रेणी सं/CAT No.** ☐☐☐☐

3. उम्मीदवार का पूरा नाम (अंग्रेजी में) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए नाम के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखें। नाम के किन्हीं दो भागों के बीच एक बक्से को खाली छोड़ दें।
Candidate's Full Name (in English). Write in Capital Letter exactly in Matriculation Certificate. Leave a box blank between any two parts of the name.

4. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/Father's Name (Write in Capital Letters in English)

5. माता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/Mother's Name (Write in Capital Letters in English)

6. जन्म की तारीख/Date of Birth	7. लिंग/Gender	8. राष्ट्रीयता/Nationality	9. शुल्क/Fees
दिन/Day माह/Month वर्ष/Year	(Write 1-Female & 2-Male)	(Write 1-Indian & 2- Others)	(Write 1-Fee paid & 2-Exemption claimed)

10. श्रेणी/Category	10.1 क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं/Whether Ex-Servicemen	11. क्या आप शारीरिक विकलांग हैं?/Whether PH?
(Write 0-General, 1-SC, 2-ST & 6-OBC)	(Write 3 Ex-Servicemen)	(Write 1-Yes, 2-No)

11.1. यदि हाँ, कोड अंकित करें If Yes, Indicate Code	12. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं? Whether seeking Age relaxation?	12.1 यदि हाँ, कोड अंकित करें If Yes, Indicate Code	12.2 आवेदन प्राप्ति की सामान्य अन्तिम तिथि को आयु Age as on normal closing date
(Write 4-OH, 5-HH, 7-VH)	(Write 1- Yes, 2- No)	(Write two digit Numeric Code)	Years Months Days

13. पदों की वरीयता/Preference for Posts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. भूतपूर्व सैनिक के लिए/For Ex-Servicemen सेवा अवधि/Length of Service (in Years) सेवा समाप्ति तिथि/Date of Discharge D D M M Y Y

15. क्या आप अल्पसंख्यक हैं Whether belong to Minority Communities as per Govt. Orders (Write 1-Yes, 2-No)

16. यदि दृष्टि बाधित विकलांग हैं तो क्या आपको प्रतिलिपिक की आवश्यकता है? If VH, whether scribe is required? (Write 1-Yes, 2-No)

16.1. यदि हाँ, तो माध्यम अंकित करें, अंग्रेजी के लिए 1, हिन्दी के लिए 2
If yes, Indicate medium of Scribe(1-English, 2-Hindi)

←←← यहां से मोड़ें ——— FOLD HERE ——— यहां से मोड़ें ——— FOLD HERE →→→

17.
शैक्षिक कोड Educational Qualification Code | विषय कोड Subject Code | अंक का प्रतिशत Percentage of Marks | माध्यम Medium

अंग्रेजी के लिए 1 लिखें, हिन्दी के लिए 2 लिखें व अन्य के लिए 3 लिखें
Write 1 for English, 2 for Hindi & 3 for Others

18. कार्य अनुभव का विवरण/Details of work Experience

संस्था का नाम Name of the organisation(s)	पद का नाम Designation	कार्य का विवरण Nature of Duty(ies)	सेवा की अवधि /Period of Service से/From	तक/To

19. पता : अपने नाम सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में या हिन्दी में नीले या काले बॉल पेन से लिखें।
Address : Write your complete Communication Address including your Name in English Capital Letters or Hindi with Blue or Black Ball Pen.

(परीक्षा के नोटिस में अनुदेश देखें) See Notice of the Exam for Instructions

नाम Name : ....

पता Address : ....

....

....

....

पिन PIN : ☐☐☐☐☐☐☐☐

19.1 मोबाइल/Mobile No. : ....

ई-मेल/E-mail ID : ....

20. फोटोग्राफ
4 सें.मी. X 5 सें.मी. आकार का हाल ही में खींचा गया फोटोग्राफ यहां ठीक से चिपकायें। (स्टेपल न करें। फोटो को सत्यापित न करवायें)
Photograph
Paste here firmly your recent photograph (4 c.m. X 5 c.m.) (Do not staple. Do not get the Photograph attested)

अनुक्रमांक (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)
Roll Number (for Office use only)

21. उम्मीदवार के हस्ताक्षर (केवल चलित लिपि में)
Signature of Candidate (Only in running Hand)

अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा
Unsigned application will be rejected

Space for cancellation stamp by post office after affixing CRF stamp
के. भ. शुल्क टिकट चिपकाने के बाद डाकघर द्वारा रद्द किये जाने वाले टिकट हेतु स्थान

22. के.भ. शुल्क टिकट कि लिए स्थान
Space for CRF Stamp

अपेक्षित मूल्य वर्ग का के. भ. शुल्क टिकट यहाँ ठीक ढंग से चिपकाऐं तथा डाकघर से रद्द करा दें जहाँ से वह खरीदा गया है।
(स्टेपल न करें)

Paste here firmly CRF Stamp of requisite denomination and get it cancelled from the post office from where purchased.
(Do not Staple)

21. घोषणा/Declaration

(I) मैंने इस भर्ती के लिए कोई और आवेदन पत्र नहीं भेजा है मुझे यह मालूम है कि यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करता / करती हूँ तो आयोग द्वारा मेरा आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
I have not submitted any other application for this examination. I am aware that if I contravene this rule, my application will be rejected summarily by the Commission.

(II) मैंने विज्ञप्ति में दी गई शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हैं और मैं एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
I have read the provisions in the Notice of the examination carefully and I hereby undertake to abide by them.

(III) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि संबंधी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/ करती हूँ।
I further declare that I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications etc., prescribed for admission to the examination.

(IV) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे आजतक कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से नहीं रोका गया है तथा मुझे किसी भी विधि न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं पाया गया है।
I also declare that I do not stand debarred by SSC/UPSC/CPWD/MES/Dept. of Posts as on date and have never been convicted by any court of law.

(V) *आयु सीमा में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारी के लिए
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं एक केन्द्र सरकार का एक असैनिक कर्मचारी हूँ एवं नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा या सेवाकाल अवधि जैसा की परीक्षा नोटिस में निर्धारित है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व,, पूर्ण कर ली है।
*For Central Govt. Civilian Employee seeking age relaxation
I declare that I am a Central Govt. Civilian Employee and completed 3 years regular service or regular length of service stipulated in the Notice of the examination on or before date of closing of submitting application form given in the Notice.

(VI) *अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के लिए
मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस समुदाय से संबंधित हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं.- 36012/22/93 स्था. (एससीटी) में विहित आदेशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग माना गया है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न संशोधनों जो कि नोटिस में उल्लेखित है, उसके तहत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन सं. कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गो (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास परीक्षा नोटिस में निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है।
*For Candidate belonging to OBC
I declare that I belong to the community which is recognized as a backward class by the Govt. of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Deptt. of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93- Esst. (SCT) dated 8.9.1993. I also declare that I do not belong to the person/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the schedule of the OM mentioned above and modified vide Govt. of India DOPT OMs mentioned in the Notice. I further declare that I am in possession of OBC Certificate in the prescribed format given in the Notice of the examination.

(VI) भूतपूर्व सैनिकों के लिए
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार भू.पू. सैनिक सम्बिन्धित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/ करती हूँ।
For Candidate belonging Ex-Serviceman
I declare that I fulfill all the eligibility condition relating to Ex-Serviceman as per notice of exam.

(VII) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि परीक्षा से पहले या बाद में कोई भी सूचना छुपाई हुई/झूठी या असत्य पाई जाने पर या अपात्रता का पता लगने पर मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
I hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect or ineligibility being detected before or after the examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled

स्थान / Place ....

तारीख/ Date : D D M M Y Y

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (केवल घसीट हस्तलिपि में)
Signature of Candidate (only in running hand)

*यदि लागू न हो तो यह लाईन काट दें।
*Stricke off this sentence if not applicable

अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा
Unsigned application will be rejected

23. नीचे लिखे प्रमाण के वाक्य को अपने हाथ से लिख कर हस्ताक्षर करें। यह अनिवार्य है।

Write the certification statement below in your running handwriting and put your signature. This is compulsory.

"मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वहीं व्यक्ति हूँ जिसका नाम एवं फोटोग्राफ इस आवेदन पत्र पर है।"
"I certify that I am the person whose Name and Photograph appear on this Application Form."

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

केवल सिविल पदधारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अभ्यर्थियों के लिए

मैं यह भी घोषणा करता/करती हुं कि मैं अपने कार्यालय अध्यक्ष/विभाग/मंत्रालय को लिखित रुप में सूचित कर रहा/रही हूं कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

स्थान :
दिनांक : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

अनुबंध–1

सेवारत रक्षा कर्मचारियों के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र
कृपया इस विज्ञप्ति का पैरा 3०7 देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार .... (नंबर)............................(रैंक)................................(नाम)................................दिनांक...................को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा कर लेंगे ।

स्थान– कमांडिग अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक– कार्यालय की मुहर

अनुबंध–2

इस विज्ञप्ति की पैरा 3०7 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला वचनपत्र

मैं जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के द्वारा मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत मुक्त किया गया है/कार्यमुक्त किया गया है तथा मैं भूपूसै (समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर) पुनर्नियुक्ति नियमावली, 1979 की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं । मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्वायत्त निकाय आदि शामिल हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने का पात्र नहीं होउंगा ।

स्थान– अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक–

अनुबंध–3

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र

जो अभ्यर्थी किसी अजा/अजजा से संबंधित होने का दावा करते हैं उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर, जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले, जिसमें उसके संरक्षक (या जीवित संरक्षक) सामान्यतः रहते हों, को नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी होगी । यदि उसके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री श्री.......................... ....निवासी ग्राम/कस्बा..जिला/संभाग.........................राज्य/संघ क्षेत्र......................................के ....अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951'
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ क्षेत्र आदेश, 1951'
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुंबई रिआर्गनाईजेशन एक्ट,1960, पंजाब रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गनाईजेशन) एक्ट, 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976' द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959,
संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 /
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964/
संविधान (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1967/
संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जाति ओदश, 1968/
संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1968/
संविधान (नगालैंड) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1970/
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति ओदश, 1978/
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1978/
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1989/
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990/
संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991/
संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991/
संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996/

:2 यह उन अनुसूचित जातियों, जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।
यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. के माता/पिता श्री/श्रीमती.................... निवासी ग्राम/कस्बा.................... जिला/संभाग..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....................को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो...... ....जाति/जनजाति से संबंधित है जो ....दिनांक..............द्वारा जारी..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3 श्री/श्रीमती/कुमारी.......................और/या............उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा............जिला/संभाग......................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....................में रहता है।

हस्ताक्षर

पदनाम.............................

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ क्षेत्र..............................

स्थान.........................

दिनांक..................

जो लागू न हो उसे काट दें।

/ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

: जो अनुच्छेद लागू न हों उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम –1950 की धारा 20 में है।

टिप्पणी–(ख): जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :–

1. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटीव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो।
4. उस क्षेत्र का सब डिवीजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और या उसका परिवार साधारणतया रहता है।

अनुबंध – 4

आयु सीमा में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल पदधारी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

<u>(अभ्यर्थी के कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी सेवारत है)</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... जो रु ....के वेतनमान में कार्यरत केन्द सरकार के सिविल पदधारी कर्मचारी हैं, उन्हें दिनांक .... को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुये तीन वर्ष हो गये हैं।

स्थान – हस्ताक्षर –

दिनांक – नाम –

कार्यालय की मुहर –

अनुबंध–ट

<u>संस्थान/अस्तपाल का नाम और पता</u>

प्रमाण पत्र सं .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयु.....................लिंग................................ पहचान चिन्ह.............................निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है –

यहां चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित हाल ही का अनुप्रमाणित फोटो चिपकांए जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शता हो

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

;पद्ध दोनों टांगे (बी एल)– दोनों टांगे प्रभावित किन्तु बाहें प्रभावित नहीं

;पपद्ध दोनों बाहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित
(क) दुर्बल पकड़
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनो टांगे और बाहें (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दांया या बांया)
(क) दुर्बल पकड़
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पकड़
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) में कडापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांसपेशियां (एम डब्लयू) – मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि : ;पद्ध बी – अंधता
;पपद्ध पी बी – आंशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना ;पद्ध डी – बधिर
;पपद्ध पी डी – आंशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती/..............वर्षो....................महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है । '

3- उनके मामले मे निःशक्तता का प्रतिशत .... है ।

4- श्री/श्रीमती/कुमारी... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं –

I. एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं

II. पी पी – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं

III. एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

IV. के सी – घुटनों के बल झुककर और दबक कर कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

V. बी – झुककर कर कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

VI. एस – बैठकर कर कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

VII. एस टी – खडे हो कर कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

VIII. डब्लयू – चलते हुये कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

IX. एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

X. एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

XI. आर डब्लयू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है
हाँ/नहीं

(डॉ............................) (डॉ............................) (डॉ............................)

सदस्य, चिकित्सा बार्ड सदस्य, चिकित्सा बार्ड अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

' **जो लागू न हो उसे काट दें ।**